


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

श्री शेर सिंह मीना व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)– अंग्रेजी, राउमावि, बालघाट, टोडाभीम, करौली का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टोडाभीम, करौली की अभिशंषा व चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नांकित अवधि का अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	अवकाश का प्रकार	दिनांक से	दिनांक तक	कुल दिवस
1	परिवर्तित अवकाश (रा.से.नि. 93(2)) (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	18.10.2019	26.11.2019	कुल 40 दिवस
2	उपार्जित अवकाश (रा.से.नि. 91) (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	27.11.2019	21.02.2020	कुल 87 दिवस

उक्त अवकाशों का इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावें।


  
(सौरभ स्वामी)

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-1/परि. अवकाश/लेखा जांच/2020  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 09/09/2021

1. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा करौली।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टोडाभीम, करौली।
4. प्रधानाचार्य, राउमावि बालघाट, टोडाभीम, करौली।
5. श्री शेर सिंह मीना, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि बालघाट, टोडाभीम, करौली।
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक एफ-1 (2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून, 2014, 07.08.2014, 25.10.2019 एवं शासन के पत्र क्रमांक क्रमशः प. 7(26)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 01.09.2021 की अनुपालना में निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत रहते हुए परिवीक्षा काल की अवधि में उनके सामने अंकित अवधि में उपभोग किये गये असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम 96 के तहत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम ब्या. एवं पदस्थापन स्थान (राउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	अवकाश का प्रकार	अवकाश की अवधि	अवकाश दिनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	श्रीमती प्रीति, ब्या. अंग्रेजी, राबाउमावि देशनोक, बीकानेर	असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर)	दिनांक 22.03.18 से 08.05.18 दिनांक 03.07.18 से 15.07.18	48 दिवस 13 दिवस कुल 61 दिवस

नोट:- उपरोक्त कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार 121 दिवस की वृद्धि होगी।

यदि उपरोक्त कार्मिक का इस अवधि का वेतन आहरण हो गया हो तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजन करें।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/प्रीति/अंग्रेजी/अवकाश/2020

दिनांक:- 09/09/2021

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)।
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. प्रधानाचार्य, राबाउमावि, देशनोक, बीकानेर को कार्मिक की मूल सेवा पुस्तिका भेजकर लेख है कि लौटती डाक से पावती इस कार्यालय को भिजवाई जानी सुनिश्चित करावें।
6. श्रीमती प्रीति, प्राध्यापक अंग्रेजी, राबाउमावि, देशनोक, बीकानेर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर